राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 155/2012 (माण्डलगढ़) दायर तारीख 19.06.2012

वादपत्र संख्या 89/2024 (बिजौलिया) दायर तारीख 26.06.2024

अनवान्

1. गोपाल पुत्र हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मंदरा पुत्री हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भूली पुत्री हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पिता जग्गनाथ जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सत्यनारायण पुत्र घीसू जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. महावीर पुत्र घीसू जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सीता विधवा घीसू जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. भैरूलाल पुत्र जग्गनाथ जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. छोटू पुत्र जग्गनाथ जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाड़ी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1 से 6

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53–88–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/11/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य वादपत्र **अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 7 नियम 1 व 3 दि0 प्र0स0** विरूद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी हीरालाल के पूर्वज जन्म से हिन्दू होकर वादीगण प्रतिवादी हीरालाल एवं उनकी विवाहीता पत्नि श्रीमति मांगीबाई ने उत्पन्न वैध संताने है। प्रतिवादीया नंबर दो वादीगण की दादी हो स्व. जगनाथ पुत्र भोला जी तेली की विधवा है। व प्रतिवादी गण प्रमाणं 6 व 7 स्व. जगनाथजी तेली के पुत्र है व प्रतिवादीगण नंबर 3 व 4 जगनाथ जी के पुत्र घीसू जी के पुत्र व प्रतिवादीया नंबर 5 घीसूजी की विधवा है घीसूजी कि मृत्यु एक माह पूर्व हो चुकी है। वादीगण के दादा स्व. जगनाथ पुत्र भोला जी तेली की मृत्यु वर्ष 1985 में हो गयी।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

स्व. जगनाथा जी तेली की खातेदारी में दर्ज रही भूमि उनके निर्वसीयत मृत्यु हो जाने के पश्चात के पुत्रो की खातेदारी मे दर्ज अभिलेख की गयी। प्रतिवादी हीरालाल की खातेदारी में जो पुश्तैनी जायदाद कृषि खातेदारी भूमि मौजा उंदरोकाखेडा दर्ज राजस्व अभिलेख है उसका विवरण प्रतिवादी नंबर 8 द्वारा पौषित राजस्व अभिलेखो में निम्नानुसार दर्ज अभिलेख है। (अ) मोजा उंदरो का खेडा के खाता संख्या 275 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार हीरालाल पुत्र जगनाथ तेली खसरा नम्बर 274 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वां, खसरा नम्बर 335 रकबा 03 बिस्वां आ चा, खसरा नम्बर 336 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वां, खसरा नम्बर 339/1 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वां कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वां (ब) मोजा उंदरो का खेडा के खाता संख्या 178 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार गीसू, भेरू, छोटू, हीरा पुत्र जगनाथ तेली व नन्दू बाई विधवा जगनाथ तेली खसरा नम्बर 551/274 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वां (स) मोजा उंदरो का खेडा के खाता संख्या 88 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार छोटू, हीरा पुत्र जगनाथ तेली सा देह खातेदार खसरा नम्बर 163 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वां, खसरा नम्बर 337 रकबा 07 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वां। स्व. जगनाथ की जायदाद जो कि पुश्तैनी जायदाद कृषि भूमि है उसमे वादीगण का जन्म से अधिकार एवं कब्जा है क्योंकि वादीगण व प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 7 तक जन्म से हिन्दू है उनके सम्पति संबधी –अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से नियंत्रित होते है। प्रतिवादीगण क्रमांक 2–6–व 7 एवं घीसू जी तेली ने असमान रूप से बटवाडा करते हुये स्व. जगनाथ जी द्वारा अपने पीछे छोडी गयी जायदाद जिसका प्रतिवादी नंबर 8 द्वारा पोषित राजस्व अभिलेखों में निम्नानुसार दर्ज अभिलेख हैं। खातेदार का नाम जगनाथ पिता भोला तेली साकीन देह खातेदार खसरा नम्बर 225 रकबा 09 बिस्वां, खसरा नम्बर 274 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 275 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वां, खसरा नम्बर 335 रकबा 03 बिस्वां, खसरा नम्बर 336 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 337 रकबा 07 बिस्वां, खसरा नम्बर 338 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वां, खसरा नम्बर 339 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वां, खसरा नम्बर 439 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वां, खसरा नम्बर 478/2 रकबा 09 बीघा कुल किता 10 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वां का बटवाडा कर अपने अपने खाते में अलग अलग दर्ज करवा ली। स्व. जगनाथ जी द्वारा अपने पीछे छोडी गयी जायदाद का जिस प्रकार से असमान बटवाडा किया जाकर भूमि उनके चार पुत्रो मे भूमि दर्ज की गयी उसका विवरण इस प्रकार है :– (अ) भोलु पुत्र जगनाथ जी तेली की खातदारी में दर्ज भूमि ख–न– 225––276–374/1–439/4 रकबा 11 बीगा 19 बिस्वा (ब) घीसू पुत्र जगनाथजी तेली की खातेदारी में दर्ज भूमि ख–न– 225/1––448/2 रकबा 9 बीगा 06 बिस्वा (स) छोटू पुत्र जगनाथ जी तेली के खातेदारी में दर्ज भूमि ख–न–338––339 मी व 274/2 रकबा 6 बागा 9 बिस्वा (द) हीरा पुत्र जगनाथजी की खातेदारी में दर्ज भूमि ख–न– 335––336––339/1–274 मी रकबा 6 बीगा 18 बिस्वा (द) छोटू हीरा पुत्र जगनाथ तेली को संयुक्त रूप से प्रदत्त खसरा नंबर 337 रकबा 7 बिस्वा पुश्तैनी जायदाद बाबत किया गया असमान बटवाडा अवैध व शून्य है क्योकि कोई भी सह काश्तकार (को–टिनेन्ट) किसी भी सह अंशधारी (को–शेयर) के किसी भी हिस्से को असमान बटवारे द्वारा अन्य सह काश्तकार को स्वेच्छा से प्रदान नहीं करता है। प्रतिवादी नंबर दो ने असमान बटवाडे के लिये कोई सहमती दी है तो वह वादीगण के लिये बाध्यकारी नहीं है क्यों कि वादीगण के हित में प्रतिवादी हीरालाल ने बटवाड़ा नही किया है। प्रतिवादी हीरालाल ने वादीगण की माता मांगाबाई जो कि उनकी विवाहीता पत्नि है के मौजूद रहते ओर बिना उसके हिन्दू विधि के अनुसार विवाह विच्छेद किये श्रीमति धापू बाई को बिना विवाह किये अपने पास रखा लिया और अपनी विवाहीता को अपने संसर्ग से उत्पन्न संतानो वादीगण सहित अपने से अलग कर लिया। वादीगण की माता ने अपने पीहर पक्ष के सहयोग व मेहनत मजदूरी कर पाला पोषा व बड़ा किया और उनका विवाह करवाया। वादीगण वादग्रस्त पुश्तैनी जायदाद में जो प्रतिवादी हीरालाल का बनने वाला हिस्सा है उसमे प्रत्येक वादीगण 1/4 हिस्से के सह अंशधारी है। व, जगनाथजी तेली द्वारा अपने पिछे छोडी गयी जायदाद में राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रतिवारी हीरालाल कुल पुश्तैनी कृषि भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार हैं। उस 1/4 हिस्से में से एक हिस्सा प्रतिवादी हीरालाल का व शेष 3/4 हिस्से मे प्रत्येक वादी का 1/4 हिस्सा है। धारा 125 के अन्तर्गत भरण पोषण हेतू चली कार्यवाही के कारण जो पुश्तैनी जायदााय में जो वादीगण को हक अधिकार जन्म से प्राप्त हुये है वे समाप्त नहीं होते है। इसलिये वादीगण कुलीया जायदाद में अपने बनने वाले वेध अंश की सीमा तक खातेदारी पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण अनुतोष चाहते है कि :– (अ) मोजा उंदरो का खेड़ा के खाता संख्या 275 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार हीरालाल पुत्र जगनाथ तेली खसरा नम्बर 274 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वां, खसरा नम्बर 335 रकबा 03 बिस्वां आ चा, खसरा नम्बर 336 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वां, खसरा नम्बर 339/1 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वां कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वां (ब) मोजा उंदरो का खेड़ा के खाता संख्या 178 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार गीसू, भेरू, छोटू, हीरा पुत्र जगनाथ तेली व नन्दू बाई विधवा जगनाथ तेली खसरा नम्बर 551/274 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वां (स) मोजा उंदरो का खेड़ा के खाता संख्या 88 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार छोटू, हीरा पुत्र जगनाथ तेली सा देह खातेदार खसरा नम्बर 163 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वां, खसरा नम्बर 337 रकबा 07 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वां भूमि में प्रतिवादी

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

हीरालाल के बनने वाले हिस्से में से 3/4 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये ...की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रदान करायी जावें। वादीगण के बनने वाले हिस्से ...शेष खातेदारों से अलग किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी ...हैं। वादीगण के हक हिस्से की सीमा तक जायदाद को विक्रय नहीं करने वादीगण को उनके हिस्से की ...पर काश्त करने से नही रोकने हेतु प्रतिवादीगण की स्थई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र ...करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण ...संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता ब्रह्मप्रकाश तिवाड़ी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी में विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 9 नियम 7 पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त प्रकरण में विपक्षी की ओर से अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) जा0दी0 जवाब प्रस्तुत ...या कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या एक मे वर्णित सजरा स्वीकार्य नहीं है। हिन्दू परिवार के सजरे मे वे ही ...उत्तरोतर उत्तराधिकारी होते है जो किसी वंशजो के रक्त एवं वैध उत्पन्न सन्ताने है। वादीगण के अतिरिक्त ...लो भी हीरालाल के उत्तराधिकारी बताये गये हैं, वे वैध सम्बन्धों से उत्पन्न वारिसान नही है इसलिए उन्हे ...पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। जिन व्यक्तियो को प्रतिवादी सजरो मे सम्मिलित कराना चाहता है ...जग्गनाथ पुत्र भोलाजी के वंशज नहीं है। यदि हीरालालजी के अवैध किसी स्त्री के सम्बन्धो से उत्पन्न ...सन्ताने परिवार के हिन्दू कूटम्ब की सदस्य व्यवहारित नही की जा सकती है। न ही हिन्दू परिवार की ...सम्पति की सहभागीदार है इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है। प्रकरण अन्तिम बहस के ...लिए लगा हुआ है। इसलिए किसी प्रकार का प्रार्थनापत्र पोषनीय नही हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पति मे ...हित रखता है तो वह अलग से वाद प्रस्तुत कर अपने हक अधिकार घोषित करवा सकता है। अनावश्यक ...रूप से वाद के निस्तारण को रोकने के लिए ऐसा प्रार्थनापत्र पोषनीय नही है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 ...स्वीकार नही हैं। जग्गनाथ जी आवेदनकर्ताओ का कोई रक्त का सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थनापत्र की कलम न0 3 स्वीकार नही हैं। यदि आवेदनकर्ता किसी आधार पर अपने हक जायदाद में तय करवाना चाहते है उसके ...लिए वे अलग वाद लाये पहिले से प्रकरण 10 वर्ष पुराना हो चुका है। अनावश्यक देरी करने के लिए यह ...प्रार्थनापत्र लाया गया है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के साथ मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा प0ह0 माल का खेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श – 1 हैं। मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा प0ह0 माल का ...खेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श – 2 हैं। मौजा ग्राम ...उन्द्रो का खेड़ा प0ह0 माल का खेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं ...जो प्रदर्श – 3 हैं। मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा प0ह0 माल का खेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श –4 हैं। मौजा ग्राम उन्द्रो का खेड़ा प0ह0 माल का खेड़ा की ...नकल जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श – 5 हैं। मौजा ग्राम उन्द्रो का ...खेड़ा प0ह0 माल का खेड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2038 से 2042 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं जो प्रदर्श – 6 हैं।

पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया। साक्ष्य वादी में PW-1 गोपाललाल पुत्र ...हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्र्क पेशा कृषि निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा के ...बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

PW-1 गोपाललाल पुत्र हीरालाल तेली ने अपने बयान में लिखाया कि जग्गनाथ मेरे दादाजी ...थे। इनके खाते में 36 बीघा 16 बिस्वां जमीन थी। जग्गनाथ जी की मृत्यु हो चुकी है। जग्गनाथ जी के ...मृत्यु के पश्चात भैरू, घीसू, छोटू एवं मेरे पिताजी हीराजी के नामान्तकरण खुला। मेरे पिताजी हीरा जी के ...बटवाडे से 6 बीघा 18 बिस्वां जमीन पाती आयी। मेरे पिताजी के हिस्से में कम जमीन पाती आयी सबसे ...ज्यादा भैरूलाल जी के पाती आयी। उससे कम घीसू जी के व उससे कम छोटू जी के आयी। हीरालाल ...जी एवं उनके विवाहिता पत्नी मांगीदेवी के नुक्ते से मेरी एवं मेरी दो बहनो मदरा एवं भूला की उत्पति हुई। ...जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी ने मेरी मां व हमारे को घर से निकाल दिया। हमारे को निकालने के ...बाद हीराजी घापू देवी को नाते ले आये। मेरे पिता ने मुझे व मेरी बहनो को पुश्तेनी जमीन में हिस्सा नही ...दे रखा हैं। मैने हीरालाल जी से अपने हिस्से की मांग की तो मना कर दिया। विवाहित पुश्तैनी जमीन में ...हम वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता हैं। 06 बीघा 18 बिस्वा के अलावा 01 बीघा 09 बिस्वां और हैं ...जो मेरी दादी मां एवं हीरालाल जी एवं तीन भाईयों के खाते में दर्ज थी उसमें भी हीरालाल जी का हिस्सा ...है। उसमें हमारा हिस्सा हमे मिलना चाहिए। हमारे हिस्से को हम बटवाड़ा करवाकर अलग करवाना चाहते ...है। मैंने दस्तावेज पेश किये जो प्रदर्श अनुसार हैं।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
...लियाँ जिला-भीलवाड़ा

जिरह वकील प्रतिवादी में कथन किया कि यह कहना सही हैं कि धापू देवी हीरालाल की दूसरी पत्नी हैं। जिसके एक लड़का व तीन लड़किया हैं। यह कहना सही हैं कि हम सभी वादीगण ने पुश्तेनी हिस्से की जमीन की मांग की, यह कहना सही है कि मैने पुश्तेनी जायदाद का बंटवाड़े का पेश कर रखा है। यह कहना गलत है पुश्तेनी जायदाद का मेरा हिस्सा नही हैं। यह कहना गलत हैं हीरालाल जी की स्वयं द्वारा बनायी गयी हैं। बल्कि पुश्तेनी हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर अन्य गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को प्रतिवादीगण में रखा गया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

बहस में अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिलाना चाहा जबकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को अस्वीकार पर वादपत्र को खारिज करवाना चाहा हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन उपरान्त प्रस्तुत वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे आदेश दिए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

वादपत्र बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं :– **(अ)** मोजा उन्दरो का खेड़ा के खाता संख्या 275 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार हीरालाल पुत्र जगनाथ तेली खसरा नम्बर 274 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वां, खसरा नम्बर 335 रकबा 03 बिस्वां आ चा, खसरा नम्बर 336 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 339/1 रकबा 2 बीघा 335 बिस्वां कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वां में 3/4 हिस्से का **(ब)** मोजा उन्दरो का खेड़ा के खाता संख्या 178 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार घीसू, भैरू, छोटू, हीरा पुत्र जगनाथ तेली व नन्दू बाई विधवा जगनाथ तेली खसरा नम्बर 551/274 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वां में हीरा के बनने वाले 1/5 हिस्से में से 3/4 हिस्से का अर्थात कुलिया भूमि में वादीगण को 3/20 हिस्से का **(स)** मोजा उन्दरो का खेड़ा के खाता संख्या 88 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार छोटू, हीरालाल पुत्र जगनाथ तेली सा देह खातेदार खसरा नम्बर रकबा 3 बीघा 04 बिस्वां, खसरा नम्बर 337 रकबा 07 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वां में प्रतिवादीगण हीरालाल के बनने वाले 1/2 हिस्से में से 3/4 हिस्से अर्थात कुलिया भूमि में 3/8 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार आंशिक डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 13 / 11 /2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (मोहर)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

[न्या]यालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

[पी]ठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

[वा]द संख्या 155/2012 (माण्डलगढ़) दायर तारीख 19.06.2012
[वा]द संख्या 89/2024 (बिजौलिया) दायर तारीख 26.06.2024

अनवान्

[1.] [ग]ोपाल पुत्र हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
[2.] [च]ंदा पुत्री हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. [ल]ूली पुत्री हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........डिक्रीदार

बनाम

1. हीरालाल पिता जग्गनाथ जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सत्यनारायण पुत्र घीसू जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. महावीर पुत्र घीसू जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सीता विधवा घीसू जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. भैरूलाल पुत्र जग्गनाथ जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. छोटू पुत्र जग्गनाथ जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13 / 11 /2025

डिक्री दिनांक : 13 / 11 /2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाड़ी को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :– **(अ)** मोजा उन्दरो का खेड़ा के खाता संख्या 275 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार हीरालाल पुत्र जगनाथ तेली खसरा नम्बर 274 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वां, खसरा नम्बर 335 रकबा 03 बिस्वां आ चा, खसरा नम्बर 336 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 339/1 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वां कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वां में 3/4 हिस्से का **(ब)** मोजा उन्दरो का खेड़ा के खाता संख्या 178 पर दर्ज भूमि नाम खातेदार घीसू, भैरू,

लगातार पेज संख्या 02 पर

...लेह हीरा पुत्र जगनाथ तेली व नन्दू बाई विधवा जगनाथ तेली खसरा नम्बर 551/274 ... बीघा 09 बिस्वां में हीरा के बनने वाले 1/5 हिस्से में से 3/4 हिस्से का अर्थात कुलिया भूमि ... को 3/20 हिस्से का (स) मोजा उन्दरो का खेड़ा के खाता संख्या 88 पर दर्ज भूमि नाम ... छोड़ हीरालाल पुत्र जगनाथ तेली सा देह खातेदार खसरा नम्बर 163 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वां, ... नम्बर 337 रकबा 07 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वां भूमि में प्रतिवादीगण हीरालाल ... वाले 1/2 हिस्से में से 3/4 हिस्से अर्थात कुलिया भूमि में 3/8 हिस्से का वादीगण को ... काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ... मुर्तिब हो।

नीज ....Nil..................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् ....

...र्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की ...से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 11 वर्ष 2025 को ...किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

...ई	रूपया	पैसे
...म्प अरजीदया	–	
...म्प वकीलात नामा	–	
...म्प वजह सबूत	–	
...नताना वकील ( )	–	
...र्चा गवाह	–	
...स कमीश्नर	–	
...बत् इजराय हुक्मनामा	–	
...नफरिक	–	
मीजान		

मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–	
मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

[कार्या]लय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

[पीठा]सीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

[सं]ख्या 155/2012 (माण्डलगढ़) दायर तारीख 19.06.2012

[सं]ख्या 89/2024 (बिजौलिया) दायर तारीख 26.06.2024

[री]डर/2026/487 दिनांक :– 12/02/2026

तहसीलदार
बिजौलियां।

अनवान्

[गो]पाल पुत्र हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

[मं]दरा पुत्री हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

[भू]ली पुत्री हीरालाल जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........वादीगण

बनाम

हीरालाल पिता जग्गनाथ जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

सत्यनारायण पुत्र घीसू जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

महावीर पुत्र घीसू जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

सीता विधवा घीसू जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

भैरूलाल पुत्र जग्गनाथ जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

छोटू पुत्र जग्गनाथ जाति तेली उम्र वयस्क व्यवसाय खेती निवासी उन्द्रो का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाड़ी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तक

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: प्राथमिक डिक्री ::–

डिक्री दिनांक : 11/02/2026

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती आराजीयात मौजा **ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा** तहसील बिजौलिया स्थित नया खाता संख्या 278 पर अंकित आराजी संख्या 274 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी संख्या 335 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 336 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, आराजी संख्या 339/1 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.1169 हैक्टेयर भूमि में वादीगण गोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/4 जाति तेली, भूला पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/4 जाति तेली, मंदरा पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/4 जाति तेली, हीरा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4 जाति तेली सा. देह खातेदार हैं। मौजा **ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा** तहसील बिजौलिया स्थित नया खाता संख्या 178 पर अंकित आराजी संख्या 551/274 रकबा 0.2347 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.2347 हैक्टेयर भूमि में वादीगण गोपाल

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी

हीरालाल हिस्सा 1/20 जाति तेली, घीसा पुत्र जगनाथ हिस्सा 1/5 जाति तेली, छोटू पुत्र जगनाथ हिस्सा 1/5 जाति तेली रहन BRKGB श्यामपुरा, नन्दु पत्नि स्व. जगनाथ हिस्सा 1/5 जाति तेली, भेरू पुत्र जगनाथ हिस्सा 1/5 जाति तेली, भूला पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/20 जाति तेली, मंदरा पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/20 जाति तेली, हीरा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/20 जाति तेली सा. देह खातेदार हैं। मौजा **ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा** तहसील बिजौलिया स्थित नया खाता संख्या 81 पर अंकित आराजी संख्या 163 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, आराजी संख्या 337 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5747 हैक्टेयर भूमि में वादीगण गोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/8 जाति तेली, छोटू पुत्र जगनाथ हिस्सा 1/2 जाति तेली रहन BRKGB श्यामपुरा, भूला पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/8 जाति तेली, मंदरा पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/8 जाति तेली, हीरा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/8 जाति तेली सा. देह खातेदार हैं। वादीगण का राजस्व रेकॉर्ड मौके पर मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन कर राजस्व रेकॉर्ड में अलग-अलग दर्ज रेकॉर्ड किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र भेजा गया। साक्ष्य वादी में अधिवक्ता वादीगण **ने जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने में सहमति जाहिर की।** वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी उक्त आराजी की प्रस्तुत की। जिसके अवलोकन से वादीगण **शामलाती** भूमि के सह-खातेदार/काश्तकार हैं। जमाबन्दी में दर्ज खातेदार अपने अधिकार अधिपत्य की भूमि को विभाजन कराने का अधिकार रखता है।

प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री किये जाने योग्य हैं। अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाकर **प्राथमिक डिक्री** इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा **ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा** तहसील बिजौलिया स्थित नया खाता संख्या 278 पर अंकित आराजी संख्या 274 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी संख्या 335 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 336 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, आराजी संख्या 339/1 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 1.1169 हैक्टेयर भूमि में वादीगण गोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/4 जाति तेली, भूला पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/4 जाति तेली, मंदरा पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/4 जाति तेली, हीरा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/4 जाति तेली सा. देह खातेदार हैं। मौजा **ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा** तहसील बिजौलिया स्थित नया खाता संख्या 178 पर अंकित आराजी संख्या 551/274 रकबा 0.2347 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.2347 हैक्टेयर भूमि में वादीगण गोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/20 जाति तेली, घीसा पुत्र जगनाथ हिस्सा 1/5 जाति तेली, छोटू पुत्र जगनाथ हिस्सा 1/5 जाति तेली रहन BRKGB श्यामपुरा, नन्दु पत्नि स्व. जगनाथ हिस्सा 1/5 जाति तेली, भेरू पुत्र जगनाथ हिस्सा 1/5 जाति तेली, भूला पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/20 जाति तेली, मंदरा पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/20 जाति तेली, हीरा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/20 जाति तेली सा. देह खातेदार हैं। मौजा **ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा** तहसील बिजौलिया स्थित नया खाता संख्या 81 पर अंकित आराजी संख्या 163 रकबा 0.5180 हैक्टेयर, आराजी संख्या 337 रकबा 0.0567 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5747 हैक्टेयर भूमि में वादीगण गोपाल पुत्र हीरालाल हिस्सा 1/8 जाति तेली, छोटू पुत्र जगनाथ हिस्सा 1/2 जाति तेली रहन BRKGB श्यामपुरा, भूला पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/8 जाति तेली, मंदरा पुत्री हीरालाल हिस्सा 1/8 जाति तेली, हीरा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/8 जाति तेली सा. देह खातेदार हैं। **वादीगण का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।** तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा 02 प्रति में तैयार कर इस न्यायालय में अग्रिम सुनवाई दिनांक 25/02/2026 तक प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 11 /02/2026 को लिखवाया जाकर सुनाया गयज्ञं

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

संलग्न :- वादपत्र की फोटो प्रति।

उपखण्ड अधिकारी